

सं0सं0-5 बजट (1) 21/2022 46 रु० (१०)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,
R/ 27/12/24

सेवा में,

अबुबकर सिद्दीख पी०, गा० प्र० रो०
सरकार के सचिव।

महालेखाकार
झारखण्ड, रॅची।

द्वारा— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

रॅची / दिनांक 27.12.24

विषय— राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय, वर्ष 2024-25 में झास्कोफिश को अनुदान योजना का मो० 50.00 लाख (पचास लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत “झास्कोफिश को अनुदान” एक चालू प्रकृति की योजना है, जिसके अंतर्गत झारखण्ड राज्य में कार्यरत मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के प्रबंधन/समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने/समिति के मछुआरे सदस्य को मत्स्य शिकारमाही का उचित मूल्य उपलब्ध कराने/मछलियों के विपणन में सहायता करने तथा मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने आदि कार्यों के लिए झास्कोफिश को अनुदान के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना से राज्य में सहकारिता के आधार पर प्राथमिक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि एवं मत्स्य पालकों के आय/आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये उन्हें सहायता एवं मार्ग-दर्शन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी।

निबंधक सहयोग समितियों, झारखण्ड, रॅची के पत्रांक 1736 दिनांक 06.12.2008 से राज्य सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र में राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी समिति के रूप में झारखण्ड राज्य सहकारी मत्स्य संघ (झास्कोफिश) [JHASCOFISH] (Jharkhand State Co-operative Fisheries Federation Ltd. Ranchi) का निबंधन कराया गया है जिसका निबंधन संख्या 17/HQR दिनांक 29.11.2008 है।

गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजनान्तर्गत कुल राशि मो० 100.00 लाख (एक करोड़) रूपये की स्वीकृति दी गई थी।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत बजट उपबंध मो० 50.00 लाख (पचास लाख) र० मात्र के ब्यय पर योजना के कियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

३५८८

८

८२

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो0 50.00 लाख (पचास लाख) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :—

**मांग संख्या—53—कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)
मुख्य शीर्ष—2405—मछली पालन**

(लाख रु0 में)

क्र0	लघु शीर्ष / उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
1	लघु शीर्ष—101—अन्तर्देशीय मछली—पालन—उप शीर्ष—48—झासको फिश को अनुदान—विस्तृत शीर्ष—06—अनुदान—48—अंशदान 53 S 24050010148010648	20.00	20.00
2	लघु शीर्ष—789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना—उप शीर्ष—48—झासको फिश को अनुदान—विस्तृत शीर्ष—06—अनुदान—48—अंशदान 53 S 24050078948010648	10.00	10.00
3	लघु शीर्ष—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—उप शीर्ष—48—झासको फिश को अनुदान—विस्तृत शीर्ष—06—अनुदान—48—अंशदान 53 S 24050079648010648	20.00	20.00
कुल योग :		50.00	50.00

(कुल राशि मो0 पचास लाख रु0 मात्र)

4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो दिये गये आवंटन के अंतर्गत राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से एक मुश्त करते हुए झास्कोफिश के पी0 एल0 खाते में जमा करेंगे। झास्कोफिश के पी0 एल0 खाते के संचालक प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश होंगे। प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश द्वारा किये गये व्यय का अनुमोदन झास्कोफिश के निदेशक मंडल की बैठक में प्राप्त कर उपयोगिता प्रमाण—पत्र विभाग को स—समय प्रबंध निदेशक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

5. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची होंगे। निदेशक मत्स्य के द्वारा समय—समय पर झास्कोफिश के कार्यों का निरीक्षण करते हुये प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायगा।

6. इस योजना के माध्यम से झारखण्ड राज्य सरकारी मत्स्य संघ लि0, रॉची को वित्तीय वर्ष 2024–25 में मो0 50.00 लाख (पचास लाख) रु0 अनुमानित अनुदान—अंशदान के रूप में उपलब्ध कराने की कार्रवाई स्थापित प्रक्रिया एवं नियमों के आलोक में की जायेगी।

7. झास्कोफिश को राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि को व्यय करने हेतु प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश को कॉपरेटिव बैंक, रॉची में खोले गये खाता के संचालन की अनुमति पूर्व से प्रदत्त है। राशि के अनुमानित व्यय का अनुमोदन झास्कोफिश के निदेशक मंडल की बैठक के निर्णय के आलोक में किया जायेगा।

8. झास्कोफिश की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर आयोजित की जायेगी एवं झास्कोफिश को समितियों के कल्याणार्थ और सक्रिय बनाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव झास्कोफिश के निदेशक मंडल की बैठक में लाया जायेगा।

9. मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्य मत्स्य कृषकों के सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु झास्कोफिश द्वारा ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई की जायेगी।

10. (क) राशि की निकासी एवं व्ययन के कम में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सभी स्थापित नियमों/विहित प्रक्रियाओं का पालन किये जाने एवं स्वीकृत राशि का विचलन या दुर्विनियोग नहीं हो अन्यथा इसके लिये प्रबन्ध निदेशक, झारखण्डफिशरीजिम्मेवार होंगे।

(ख) योजना का डुप्लीकेशन यानी सदृश्य कार्य के लिये दुसरे स्रोत से राशि प्राप्त होने पर तत्संबंधी सूचना अविलम्ब नियंत्री पदाधिकारी को देने का दायित्व प्रबन्ध निदेशक, झारखण्डफिशरीजिम्मेवार होगा।

11. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

12. मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा दरों का निर्धारण कर राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

13. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दृश्यायी गई राशि की अधिसीमा तथा वित्त विभाग द्वारा पी० एल० खाते की राशि के व्यय हेतु निर्धारित अवधि अथवा वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत निदेशों के आलोक में की जायेगी।

14. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना ज्ञापांक सी०एस००२/आर०-०१/२००५-३०१ दिनांक 11.03.2015 तथा सी०एस०-०१/आर०-०४/ २००१/१२६९ दिनांक 21.09.2023 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

15. यह पूर्णतः राज्य योजना है तथा इस योजना के अन्तर्गत कोई अग्रिम राशि समायोजन हेतु लंबित नहीं है।

16. वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना अंतर्गत निर्गत राज्यादेश सं०-२६ रा० (वि०) दिनांक 17.10.2023 द्वारा मो० 100.00 लाख (एक करोड़) रु० मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में यह राशि वर्ष 2023-24 में झारखण्ड के पी० एल० खाते में जमा कर दी गई है। स्वीकृत राशि का व्यय निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय अंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। राशि का व्यय स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत हो। किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण न हो। साथ ही स्वीकृत्यादेश प्रारूप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्तों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर उपलब्ध है।

विश्वासभाजन

10
(अबुबकर सिद्दीख, पी०)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 46 रा०(वि०)/रॉची, दिनांक २७.१२.२४

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, डोरंडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
Page 3 of 4

ज्ञापांक 46 रा०(विष) रोंची, दिनांक 27.12.24

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रोंची/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, झारखण्ड, रोंची/सभी उप मत्स्य निदेशक/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 46 रा०(विष) रोंची, दिनांक 27.12.24

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, रोंची/आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

16
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 46 रा०(विष) रोंची, दिनांक 27.12.24

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रोंची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16
सरकार के सचिव